

09.01.26

उपरोक्त फल उपर। इस विद्यालय के आदेश दिनांक 26-12-2025 के
किसी वरी द्वारा क्रि.सं 126/2026 प्रकृत फल पर मण्डल के फांउ
332 दिनांक 06.1.2026 से यह फल वाली वाली है अतः यह 4050
के वष की पाला में यह फल वाली दिव्यारि दादा कंठ ले कर ही
उपरोक्त फल क्षयित हो

B

उपसंग्रह अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



GCMS
2015/00140

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक/राजस्व/ दाका / 264 / 2015 / 09.01.26 / 85

दिनांक :..... 09.01.2026

प्रेषित :-

..... श्रीमान निबंधक महोदय,
..... राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

विषय: प्रकरण संख्या 264/2015 अनवान सतीश अरि

बनाम बीरबलराम व अन्य अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 RTA

निर्णय दिनांक 26.12.2025 भिजवाने हेतु।

(सा.फा 026 RG-151(C)PC दिल्ली डे फिड)

प्रसंग :- आपका पत्रांक TA निर्णय 2026/126/गंगानगर/30/03/2026/332

दिनांक 06.01.2026

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा चाही गई पत्रावली संख्या 264/2015 (2015/00140)

अनवान बीरबलराम व अन्य बनाम सतीश अरि

अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 RTA निर्णय दिनांक 26.12.2025

कुल पृष्ठ (54) इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार



83
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ अधिकारी

सूरतगढ़